

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 4(21) ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/56223

जयपुर दिनांक : 5 AUG 2015
15 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की
एमआईएस एन्ट्री के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की एमआईएस एन्ट्री ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.08.2015 तक open की गई है। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 की बकाया मस्टररोल, बिल एवं वाउचर्स की एन्ट्री नरेगा सॉफ्ट पर दिनांक 30.08.2015 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करवा ली जावे।

वित्तीय वर्ष 2014-15 की समस्त एन्ट्री पूर्ण किये जाने के पश्चात् “वित्तीय वर्ष 2014-15 की समस्त एन्ट्री पूर्ण कर ली गई है” का प्रमाण पत्र आयुक्त, ईजीएस को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे। दिनांक 30.08.2015 के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2014-15 की किसी भी प्रकार की एन्ट्री को करवाया जाना संभव नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय
5/8

(कैलाश चन्द मीमा)

परि. निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, ईजीएस, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, जयपुर एवं बाडमेर
4. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

परि. निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

5/8/15